ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–03/ना०सु०–22–51/2025 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक मे नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत सी०सी०टी०वी० सर्विलांस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹165.00 लाख (एक करोड़ पैंसठ लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में महाप्रबंधक (परियोजना), बेल्ट्रॉन के पत्रांक–872, दिनांक–10.02.2025 द्वारा नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत सी०सी०टी०वी० सर्विलांस कार्य हेतु कुल ₹498.00 लाख (चार करोड़ अनठानवे लाख रू०) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुये प्रशासनिक स्वीकृति का अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय राज्यादेश सं0–331 दिनांक–18.02.2025 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक मे नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत सी०सी०टी०वी० सर्विलांस कार्य हेतु कुल ₹498.00 लाख (चार करोड़ अनठानवे लाख रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹149.00 लाख (एक करोड़ उनचास लाख रू०) मात्र राशि आवंटित की गई थी, परन्तु राशि की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी है। बेल्ट्रॉन के पत्रांक–7342, दिनांक–10.12.2025 द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹498.00 लाख (चार करोड़ अनठानवे लाख रू०) मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०–526, दिनांक–23.03.2026 द्वारा राशि ₹149.00 लाख (एक करोड़ उनचास लाख रू०) मात्र आवंटित की गई परन्तु राशि की निकासी कतिपय कारणों से कोषागार से नहीं हुआ। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–4592, दिनांक–23.04.2026 द्वारा विभागीय राज्यादेश सं०–526, दिनांक–23.03.2026 द्वारा अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति को रद्द किया गया है।

2. उक्त के आलोक में नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत सी०सी०टी०वी० सर्विलांस कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित कार्य के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के विरूद्ध योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल स्तम्भ–6 के अंकित राशि ₹165.00 लाख (एक करोड़ पैंसठ लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति नागरिक सुविध मद से वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्नवत प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रांक एवं दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	नगर परिषद्, नवादा	नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत सी०सी०टी०वी० सर्विलांस कार्य ।	**राज्यादेश सं0–331 / 18.02.2025**	498.00	165.00	333.00

3. **उक्त स्वीकृत राशि ₹165.00 लाख (एक करोड़ पैंसठ लाख रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक– 236, दिनांक–09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। *उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बेल्ट्रॉन के PL खाता सं०–PBBPLA009, HoA संख्या–00-8448-00-120-0015-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।* **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. उक्त स्वीकृत राशि राशि ₹165.00 लाख (एक करोड़ पैंसठ लाख रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघुशीर्ष– 192– नगर पालिकाओं नगर परिषद् सहायता, उपशीर्ष– 0105– नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें– सहायक अनुदान विपत्र कोड–48–2217031920105, विषय शीर्ष 0105.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15 / 2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।" राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–03 / ना०सु०–22–51 / 2025 के पृष्ठ सं०–28 / टि० पर दिनांक–04.06.26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–29 / टि० पर दिनांक–08.06.26 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / –

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03/ना०सु०–22–51/2025 55 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–11/06/26

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/महाप्रबंधक (परियोजना), बेल्ट्रॉन/जिला पदाधिकारी, नवादा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।